

न्यायालय-श्री राजस्व मण्डल गवालियर, मध्यप्रदेश

५८ 104 100210/-

R 632-III/2004



अमन्दी ग्रुताद द्विवेदी आयु 54वर्ष आत्मज
श्री शीतल ग्रुताद द्विवेदी निवासी जयता से
के पात सोहा गुरु, जिला शहडोल मोप० -----आवेदक

बताम

१. रामविश्वाल आत्मज रामदीन गुप्ता ✓
 २. श्रीमती बच्ची शास्त्री कन्हैया लाल गुप्ता ०-११७९६
 उ. श्रीमती रामबाई पुत्री कन्हैया लाल गुप्ता
 सभी निवासी सोहा गुरु, नगरपालिका द्वेष
 शहडोल, तहसील सोहा गुरु, जिला शहडोल
 मोप० ०००

-----अविवाकग्रा

निगरानी चिरूद्ध आदेश दिनांक १२-५-२००४
 राजस्व वृकरण क्रमांक २४७/निगरानी/
 २००१-२००२ द्वारा कर्मसुनर रीवा तालुक
 रीवा जिलेकर शहडोल मोप० ०१ द्वारा
 पारित आदेश राजस्व वृकरण क्रमांक
 ६४/निगरानी/९९-२००० में पारित आदेश
 दिनांक ३०-५-२००२ ते उल्लंघन हुआ।

मान्यवर,

आवेदक द्वारा निभानुसार निगरानी ग्रहित है :-

१. यह कि आवेदक ग्राम सोहा गुरु तहसील सोहा गुरु जिला
 शहडोल कीभूमि खारा क्रमांक १७९८/३ एकड़ा १.२५ एकड़ के पुज
 भाग ०.९७ एकड़ में तन १९८० ते लकड़ी काटाल बगीचा तथा
 गैशाला बाकर काबिज तथा दाढ़िल है।

.... २

निगरानी वभाल

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 632 / तीन / 04

जिला— शहडोल

राजन दिनांक	तथा कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-18	<p>आवेदक तथा आवेदक अभिभाषक को बार-बार पुकार लगाई गई। परंतु आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक की ओर से श्री एस.के.अवस्थी उपस्थित।</p> <p>अतः प्रकरण आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापस किये जाये।</p>  <p>सदस्य</p>	